XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 1078–एक/15 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3–8–15	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया । आलोच्य आदेश द्वारा तहसीलदार ने आवेदिका द्वारा साक्षीगण को प्रतिपरीक्षण हेतु प्रस्तुत न किए जाने से उनका साक्ष्य का हक समाप्त किया गया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए आवेदक पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने का एक अंतिम अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है । अतः तहसीलदार को निर्देश दिए जाते हैं कि वे आवेदक पक्ष को साक्ष्य का एक अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही विधिवत करें । उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निराकृत की जाती है । सदस्य	

2

न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल

प्र. क्र. 0/2015 निगरानी

निगरानी 1078-I-15

1- रामबाई पत्नि श्री दिमानसिंह मुख्तारआम दिमानसिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह दांगी निवासी अंडियाकला ।

2- मोहनसिंह 3- जनवीरसिंह पुत्र श्री दिमानसिंह दांगी निवासी अंडियाकला जिला विदिशा ---------आवेदकगण

बनाम

धीरजसिंह पुत्र श्री बहादुरसिंह दांगी नि0 अंडिया कला तहसील गुलाबगंज जिला विदिशा
-------अनावेदक

श्री [illegible] [illegible] 7-5-15 [illegible] 7-5-15

निगरानी विरूद्ध आदेश तहसीलदार महोदय तहसील गुलाबगंज रामबाई विरूद्ध धीरजसिंह प्र. क्र. 4/3अ/3-4 आदेश दिनांक 26-3-15 के विरूद्ध धारा 50 भू. रा. संहिता के अंतर्गत ।

माननीय महोदय,

निवेदन है कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है :-

1- यह कि ग्राम अंडियाकला मे स्थित आराजी सर्वे नंबर 406 स्थित था जिसके मालिक काबिज आवेदक के पति एवं पिता और अनावेदक था दोनो का बटवारा होने के बाद बटान कायम किये गये जिसके अनुसार 406/1 दिमानसिंह के हिस्से मे आया एवं 406/2 अनावेदक के हिस्से मे आया आज से 30-32 साल पहले दिमानसिंह एवं धीरजसिंह ने अपने अपने हिस्से का बटवारा कर दिया दिमानसिंह ने 406/1 सर्वे के अपनी पत्नि और पुत्र मे बटवारा एवं बटान करवा लिये है बटान के मुताबिक 406/1 मोहनसिंह के पास 406/2 जनवेदसिंह के पास एवं 406/3 अपनी पत्नि रामबाई को दे दिया धीरजसिंह के हिस्से मे 406/4 आया ।

2- यह कि अंडिया कला मे आवेदक एवं अनावेदक ने कुआ खुदवाने के लिये लोन लिया आवेदक ने अपना लोन पटा लिया किंतु अनावेदक ने लोन का भुगतान नही किया एवं पूर्व बटान जिसके आधार पर 406/1 मोहनसिंह 406/2 जनवीरसिंह एवं 406/3 रामबाई के नाम पर आया था एवं 406/4